संख्या-15/2021/132ई-2/तेरह-2021-311/2000.

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 09 फरवरी, 2021

विषय- वर्ष 2021-22 के लिए थोक भांग आपूर्ति हेतु भांग का क्रय मूल्य निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-112/दो-380/57ए/लाइसेंस-21-22/ थोक भांग आपूर्ति दर/टेंडर, दिनांक 15.01.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र में किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2021-22 के लिए थोक भांग आपूर्ति हेतु भांग का अधिकतम क्रय मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	**प्रभार का नाम**	**वर्ष 2021-22 में निर्धारित थोक भांग आपूर्ति दर (प्रति किलोग्राम रूपयें में)**
1	आगरा, अलीगढ़, झांसी एवं मिर्जापुर प्रभार	24/-
2	इलाहाबाद एवं चित्रकूट धाम प्रभार	20/-
3	प्रदेश के शेष प्रभारों के लिए	19/-

अतः कृपया तदनुसार नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।